महत्वपूर्ण

संख्या–801 / 31–2014–7 / 2014

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
2–समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2014

विषयः– विकास एजेण्डा वर्ष 2014–15 का जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–791 / 31–2014–7 / 2014, दिनांक 26 फरवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2014–15 निर्धारित किया गया है। उक्त एजेण्डा में सम्मिलित सूत्रों में से कतिपय सूत्रों (सूची संलग्न) के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी समीक्षा एवं प्रभावी अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा सम्बन्धित सूत्रों की समीक्षा हेतु प्रपत्र निर्धारित कर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने स्तर पर उपर्युक्त शासनादेश में निहित सूत्रों के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा करें। जिलाधिकारी द्वारा प्रपत्रों पर सूचना तैयार करके समीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त को विलम्बतम प्रत्येक माह की 07 तारीख तक भेजी जाएगी। मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्येक माह की 12 तारीख तक समीक्षा की जाएगी। मण्डलायुक्त द्वारा समीक्षा किए जाने के उपरान्त जिलाधिकारी प्रत्येक माह की 14 तारीख सायं 5.00 बजे तक साफ्टवेयर पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। शासन द्वारा प्रत्येक माह की 14 तारीख सायं 5.00 बजे के उपरान्त साफ्टवेयर को लॉक कर दिया जाएगा।

3. एजेण्डा में शामिल बिन्दुओं की महत्ता एवं समीक्षा की गहनता के दृष्टिगत जनपद एवं मण्डल स्तर पर एक बैठक पर्याप्त नहीं होगी। अतः जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार सम्पूर्ण माह में सेक्टर–वार बैठकें निर्धारित कर सम्बन्धित सेक्टर की गहन समीक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार मण्डलायुक्तों द्वारा भी मण्डल स्तर पर सेक्टर–वार विभागों की अलग–अलग बैठक कर एजेण्डा बिन्दुओं की गहन समीक्षा की जाए। यह आवश्यक नहीं है कि मण्डल स्तर पर सेक्टर–वार सभी बैठकों में जिलाधिकारी उपस्थिति रहें।

4– जिलाधिकारी अथवा मण्डलायुक्त यदि किसी समस्या अथवा बिन्दु पर शासन / मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हों, तो वे इस सम्बन्ध में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को भी उपलब्ध कराएंगे।

5. यह पुनः उल्लेख करना समीचीन होगा कि विकास एजेण्डा वर्ष 2014–15 समस्त विकास सम्बन्धी गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु होगा तथा इसका कार्यान्वयन शासन की शीर्ष

प्राथमिकता है। एजेण्डा बिन्दुओं पर जनपद/मण्डल द्वारा अर्जित की गई प्रगति को सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त की उपलब्धियों के रूप में भी आंकलित किया जाएगा।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या– 801 (1)/31–2014–7/2014–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।

3– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।

4– समाज कल्याण आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।

5– प्रमुख सचिव/सचिव (संलग्न सूची के अनुसार) उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित सूत्रों पर प्रपत्र निर्धारित करके 10 मार्च, 2014 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रपत्रों को अन्तिम रूप देकर जनपद/मण्डलों को प्रेषित किया जा सके तथा सूत्रों/कार्यक्रमों का ससमय कार्यान्वयन हेतु जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कर जनपदों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

6– तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (राज्य मुख्यालय) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0 प्र0, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 801 (2)/31–2014–7/2014–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

2– प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

उ0प्र0 के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2014–15

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
158	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण।	खाद्य एवं रसद
160	गेहूँ व धान की समर्थन मूल्य पर खरीद योजना का कार्यान्वयन।	
5	राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन।	ऊर्जा
90	ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाना।	
91	प्रदेश की तहसीलों में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा कर उनका उर्जीकरण।	
9	सर्व शिक्षा अभियान।	बेसिक शिक्षा
10	मध्यान्ह भोजन योजना।	
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।	कृषि
30	खाद्यान्न उत्पादन में प्रजाति प्रतिस्थापन दर (VRR) में वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यवाही।	
168	जनेश्वर मिश्र ग्राम्य योजना।	कृषि विपणन
38	कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एवं नवीन मण्डियों की स्थापना तथा उनका संचालन।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
39	किसान बाजार का विकास।	
16	एकीकृत बाल विकास योजना।	महिला एवं बाल विकास
8	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।	माध्यमिक शिक्षा
106	कन्या विद्या धन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	
25	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0)।	सिंचाई
170	नहरों की गुणवत्तापरक सिल्ट सफाई तथा सफाई कार्यों का सोशल ऑडिट।	
1	प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।	वित्त
12	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
13	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।	
14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर0एस0बी0वाई0)।	
129	विगत वर्षों के निर्माणाधीन अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण कर क्रियाशील करना।	
130	नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण।	

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
133	चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 50 बैड के आधुनिक मैटरनिटी भवनों का निर्माण।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
134	लखनऊ तथा 05 अन्य चिन्हित जनपदों में 200 बैड के मातृ शिशु चिकित्सालयों का निर्माण।	
135	प्रदेश में इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट सेवा सर्विसेज में 108 एम्बुलेन्स के साथ 102 एम्बुलेन्स द्वारा जनता को आकस्मिक चिकित्सा तथा परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना व सेवा मानक तय किया जाना।	
131	नए जनपदों में जिला चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण।	
132	50 महिला जिला चिकित्सालयों में अत्याधुनिक सुविधायुक्त 100 बेड मैटरनिटी भवनों का निर्माण।	
243	विभिन्न विभागों की 75 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति प्राप्त अवस्थापनाओं को पूर्ण किया जाना तथा इन सभी तथा पूर्व निर्मित भौतिक अवस्थापनाओं को जनोपयोगी बनाया जाना।	नियोजन
236	व्यक्तिगत बुनकरों को केडिट कार्ड निर्गत किया जाना।	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
44	कुक्कुट विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।	पशुधन
23	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (निर्मल भारत अभियान)।	पंचायती राज
24	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि।	
166	राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान।	
167	लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों की आन्तरिक गलियों में सी0सी0रोड, के0सी0 ड्रेन तथा शौचालयों का निर्माण।	
195	उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	श्रम
194	सेस के लक्ष्य को क्षमता के अनुरूप बढ़ाकर संग्रहीत किया जाना तथा उपयुक्त योजनाएं बनाकर श्रमिकों के कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाना।	
211	कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	राजस्व
212	आम आदमी बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	
235	प्रदेश में लगभग 3000 नई बैंक शाखाएं खोले जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण।	संस्थागत वित्त
151	समाजवादी पेंशन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	समाज कल्याण
15	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।	
150	समस्त प्रकार की सामाजिक सहायता पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इन्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किया जाना।	समाज कल्याण /विकलांग कल्याण/ महिला कल्याण

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
149	समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण इन्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किया जाना।	समाज कल्याण/ पिछड़ा वर्ग कल्याण /अल्पसंख्यक कल्याण
162	डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।	समग्र ग्राम विकास
49	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत साधन समिति स्तर पर भण्डारगृहों का निर्माण।	सहकारिता
4	नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
3	राष्ट्रीय बागवानी मिशन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
11	कौशल विकास मिशन।	व्यावसायिक शिक्षा
241	प्रत्येक जनपद में 50 एकड़ अथवा उससे ऊपर की भूमि चिन्हित कर उस पर वृक्षारोपण।	वन
28	राजीव आवास योजना।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
192	शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	
193	रिक्शा चालकों के हित के लिए बैटरी पावर्ड मोटराइज्ड रिक्शा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	
26	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (यू.आई.जी., बी.एस.यू.पी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. घटकों सहित)।	नगर विकास
22	मल्टी–सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान।	अल्पसंख्यक कल्याण
153	प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से लक्ष्यों के मात्राकरण की व्यवस्था का प्रभावी कार्यान्वयन।	
154	कक्षा–10 पास अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित "हमारी बेटी उसका कल" योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	
155	अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहार दीवारी निर्माण योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	
156	अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना।	
41	गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास तथा बीज उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराया जाना जिससे गन्ने की खेती की उत्पादकता में वृद्धि हो।	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
17	महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना।	ग्राम्य विकास
18	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना।	
19	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।	
20	इन्दिरा आवास योजना।	
21	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन।	

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
163	लोहिया ग्रामीण आवास योजना।	ग्राम्य विकास
165	सामाजिक–आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना–2011 (SECC-2011) को पूर्ण कराया जाना।	
76	500 से अधिक आबादी की असंतृप्त बसावटों को शतप्रतिशत सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना।	लोक निर्माण
203	जनहित गारण्टी अधिनियम में अधिकाधिक जनसेवाओं को आच्छादित करते हुए जनसेवाओं में समयशीलता का पालन कराया जाना।	लोक सेवा प्रबन्धन

संलग्न सूची

1	वित्त
2	कृषि
3	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
4	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
5	माध्यमिक शिक्षा
6	बेसिक शिक्षा
7	व्यवसायिक शिक्षा
8	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
9	समाज कल्याण
10	महिला एवं बाल विकास
11	ग्राम्य विकास
12	अल्पसंख्यक कल्याण
13	पंचायती राज
14	सिंचाई
15	नगर विकास
16	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
17	कृषि विपणन एवं विशेष व्यापार
18	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
19	पशुधन
20	सहकारिता
21	लोक निर्माण
22	ऊर्जा
23	पिछड़ा वर्ग कल्याण
24	विकलांग कल्याण
25	खाद्य एवं रसद
26	समग्र ग्राम विकास
27	श्रम
28	लोक सेवा प्रबन्धन
29	राजस्व
30	संस्थागत वित्त
31	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
32	वन
33	नियोजन